Department of
Health

GOVERNMENT OF
WESTERN AUSTRALIA

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का प्रथम निवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए अनुमोदित जानकारी

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का प्रथम निवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए अनुमोदित जानकारी

यह अनुमोदित जानकारी उस रोगी को प्रदान की जानी चाहिए, जो चिकित्सा परामर्श के दौरान [*स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु अधिनियम 2019* की धारा 20 (4)(बी) के अनुसार] स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के उपयोग के लिए चिकित्सा व्यवसायी से औपचारिक प्रथम निवेदन करता है। जहाँ उचित हो, यह जानकारी अन्य जानकारी के साथ प्रदान की जा सकती है।

रोगी के पास अपने जीवन के अंत में उपलब्ध कई विकल्पों में से एक विकल्प स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु हो सकता है। रोगी को अपने जीवन के अंत में अपने सभी विकल्पों के बारे में अवगत होना चाहिए, जिसमें प्रशामक देखभाल भी शामिल है।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु राज्यव्यापी देखभाल चयन सेवा (एसडब्ल्यूसीएनएस) [The Western Australian Voluntary Assisted Dying Statewide Care Navigator Service (SWCNS)] रोगियों को समर्थन देने तथा स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के बारे में उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपलब्ध है। इस जानकारी में एसडब्ल्यूसीएनएस और अन्य उपलब्ध समर्थन विकल्पों के बारे में विवरण शामिल हैं।

एसडब्ल्यूसीएनएस (SWCNS) से मानक कार्यकाल (सुबह 8:30बजे - शाम 5:00बजे) के दौरान ईमेल और फोन के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

ईमेल: **VADcarenavigator@health.wa.gov.au**

फोन: **(08) 9431 2755**

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के बारे में जानकारी

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु क्या है?

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें रोगी ऐसी दवाई प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस दवाई को स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ के रूप में जाना जाता है। रोगी यह पदार्थ खुद लेने का चयन कर सकता है, अथवा यह पदार्थ उनकी पसंद के समय और स्थान पर किसी चिकित्सा व्यवसायी या नर्स व्यवसायी द्वारा दिया जा सकता है।

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पद रोगी के विकल्प की स्वैच्छिक प्रकृति और उनकी निर्णय लेने की स्थायी क्षमता पर बल देता है। *स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु अधिनियम 2019* (अधिनियम) [Voluntary Assisted Dying Act 2019 (the Act)] पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (डब्ल्यूए) में स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु को विनियमित करने वाला कानून है।

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का उपयोग करने के लिए कौन पात्र है?

आयु

व्यक्ति को वयस्क (18 वर्ष या इससे अधिक आयु का) होना चाहिए।

निवासी

व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थाई निवासी होना चाहिए और यह आवश्यक है कि वे प्रथम निवेदन करते समय कम से कम 12 महीनों के लिए डब्ल्यूए में निवास करते आए हों।

चिकित्सा-संबंधी आवश्यकताएँ

व्यक्ति के लिए कम से कम एक ऐसे रोग, बीमारी या चिकित्सीय स्थिति का निदान किया गया होना चाहिए जो काफी आगे बढ़ गई है व प्रगतिशील है तथा इसके कारण छह महीनों के अंदर, अथवा न्यूरोडिजेनरेटिव स्थिति होने पर 12 महीनों के अंदर मृत्यु हो जाएगी।

रोग, बीमारी या चिकित्सीय स्थिति के कारण इस प्रकार से कष्ट होना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति के विचार में सहनीय तरीके से राहत नहीं मिल सकती है।

निर्णय लेने की क्षमता

व्यक्ति के पास स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।

इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास इन बातों की क्षमता होनी चाहिए:

- उन्हें प्रदान किए जाने की आवश्यकता वाली स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के बारे में किसी भी जानकारी या सलाह को समझ पाना
- स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के निर्णय में शामिल मामलों को समझ पाना
- स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के निर्णय के प्रभाव को समझ पाना
- स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए इन कारकों की तुलना कर पाना
- अपने निर्णय को किसी प्रकार से इंगित कर पाना।

स्वेच्छा

व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से और किसी भी दबाव के बिना कार्य करना आवश्यक होगा (यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बल, प्रभाव या बढ़ावा दिए बिना)।

स्थायी निवेदन

व्यक्ति का निवेदन स्थायी प्रकृति का होना चाहिए (कुछ समय की अवधि में)।

यदि व्यक्ति पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो वह स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का उपयोग नहीं कर पाएगा।

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु प्रक्रिया के बारे में जानकारी

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु प्रक्रिया में शामिल चिकित्सक अपने रोगियों को समर्थन देने के लिए योग्यता-प्राप्त होते हैं। चिकित्सा व्यवसायिकों के लिए कुछ विशिष्ट पात्रता आवश्यकताएँ तथा स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होता है। यदि कोई नर्स व्यवसायी शामिल है, तो उन्हें भी कुछ पात्रता आवश्यकताएँ तथा अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है।

चिकित्सा व्यवसायी या नर्स व्यवसायी के साथ स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पर चर्चा करने से स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। इसके लिए रोगी को स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का उपयोग करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट और निश्चित निवेदन करने की आवश्यकता होती है, जिसे प्रथम निवेदन कहा जाता है। प्रथम निवेदन से अधिनियम के अनुसार प्रक्रिया शुरू होती है।

स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु की प्रक्रिया में 10 चरण हैं। चरण 1 से 6 में निवेदन और आकलन प्रक्रिया शामिल है। चरण 7 से 10 प्रशासन की प्रक्रिया के बारे में हैं। रोगी किसी भी समय प्रक्रिया को रोक सकता है।

1. प्रथम निवेदन

प्रथम निवेदन चिकित्सा परामर्श के दौरान चिकित्सक के समक्ष स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए व्यक्त किया गया निवेदन होता है। रोगी को स्पष्ट और निश्चित रूप से चिकित्सा व्यवसायी के सामने यह व्यक्त करना होता है कि वे स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का उपयोग करना चाहते हैं।

चिकित्सा व्यवसायी प्रथम निवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेंगे। यदि वे स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए सहमत नहीं हैं (उन्हें स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के प्रति कर्तव्यनिष्ठ आपत्ति है) या यदि वे निवेदन को स्वीकार करने के लिए पात्र या सक्षम नहीं हैं, तो वे मना कर सकते हैं। चाहे चिकित्सा व्यवसायी प्रथम निवेदन को स्वीकार करें या न करें, लेकिन डब्ल्यूए में उन्हें रोगी को स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।

यदि रोगी की पहली भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, या उन्हें संवाद करने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो प्रथम निवेदन के लिए दुभाषिए या संवाद-सहायक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। यदि चिकित्सा परामर्श टेलीहेल्थ के माध्यम से किया जा रहा है, तो यह एक वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि चिकित्सा व्यवसायी रोगी को देख और सुन सकें और उनके निवेदन के बारे में चर्चा कर सकें।

2. प्रथम आकलन

जब चिकित्सा व्यवसायी प्रथम निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे रोगी के लिए समन्वय व्यवसायी बन जाते हैं। इस भूमिका में वे रोगी के लिए स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु की प्रक्रिया का समन्वय करेंगे। समन्वय व्यवसायी का पहला कदम स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए औपचारिक रूप से रोगी की पात्रता का आकलन करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। इस आकलन को प्रथम आकलन कहा जाता है।

यदि रोगी प्रथम आकलन के परिणाम से असहमत है, तो वे राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एसएटी) [State Administrative Tribunal (SAT)] द्वारा आकलन के कुछ निर्णयों की समीक्षा के लिए निवेदन कर सकते हैं। यह परामर्श आकलन और अंतिम समीक्षा पर भी लागू होता है।

3. परामर्श आकलन

यदि प्रथम आकलन के परिणाम में रोगी को स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए पात्र माना जाता है, तो समन्वय व्यवसायी उन्हें आकलन के लिए किसी अन्य चिकित्सक

के पास भेज देंगे। यह चिकित्सा व्यवसायी रोगी के लिए परामर्श व्यवसायी बन जाता है और वे स्वतंत्र रूप से स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए उनकी पात्रता का आकलन करेंगे। इस आकलन को परामर्श आकलन कहा जाता है।

4. लिखित घोषणा

यदि समन्वय चिकित्सक और परामर्श व्यवसायिक, इन दोनों ने रोगी का आकलन स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए पात्र होने के रूप में किया है, तो रोगी दो गवाहों की उपस्थिति में स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु तक पहुँच के लिए एक लिखित घोषणा में निवेदन कर सकता है।

5. अंतिम निवेदन

यदि रोगी ने लिखित घोषणा की है, तो वे स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु सुलभ कराए जाने के लिए समन्वय व्यवसायी से अंतिम निवेदन कर सकते हैं। प्रथम निवेदन के दिन से आरंभ करके नौ दिनों की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले अंतिम निवेदन नहीं किया जा सकता है।

यदि समन्वय व्यवसायी और परामर्श व्यवसायी, दोनों यह मानते हैं कि निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले रोगी की मृत्यु हो जाएगी या वे स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का निर्णय लेने की क्षमता खो देंगे, तो रोगी को स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ के प्रयोग की अनुमति जल्दी दी जा सकती है।

अंतिम निवेदन यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि रोगी का स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का उपयोग करने का निर्णय स्थायी है और इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि रोगी मान्य अंतिम निवेदन करता है, तो समन्वय व्यवसायी अंतिम समीक्षा प्रक्रिया आरंभ कर देंगे।

6. अंतिम समीक्षा

अंतिम समीक्षा में समन्वय व्यवसायी को इस बात की जांच करने की आवश्यकता होती है कि निवेदन और आकलन प्रक्रिया अधिनियम के अनुसार पूरी हो गई है। इसका अर्थ यह है कि समन्वय व्यवसायी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रोगी के पास अभी भी स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता है, वह स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के यह काम कर रहा है, और वह अभी भी स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का प्रयोग करना चाहता है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रोगी किसी भी समय स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु की प्रक्रिया को रोक सकता है। निवेदन और आकलन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी रोगी इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है।

7. प्रशासन का निर्णय

रोगी को अपने समन्वय व्यवसायी की सहायता से यह तय करना होगा कि क्या वे स्वयं स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ का प्रशासन करेंगे (यह पदार्थ स्वयं लेंगे), या यदि उपयुक्त हो, तो किसी प्रशासन व्यवसायी के माध्यम से अपने लिए इसका प्रशासन कराएँगे। सामान्य रूप से प्रशासन व्यवसायी समन्वय व्यवसायी होगा। कुछ मामलों में, कोई अन्य पात्र चिकित्सा व्यवसायी या नर्स व्यवसायी रोगी के लिए प्रशासन व्यवसायी बन सकता है।

यदि रोगी स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ को स्वयं प्रशासित करने का निर्णय लेता है, तो समन्वय व्यवसायी द्वारा स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ का नुस्खा देने से पहले उन्हें एक संपर्क व्यक्ति को नियुक्त करना होगा।

8. नुस्खा

समन्वय व्यवसायी स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ का नुस्खा देगा। स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ का नुस्खा देने से पहले उन्हें रोगी को पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी देने की आवश्यकता होगी।

अधिकांश दवाइयों के विपरीत रोगी को नुस्खे का पर्चा नहीं दिया जाएगा। इसके स्थान पर समन्वय व्यवसायी इसे सीधे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु राज्यव्यापी फार्मेसी सेवा (एसडब्ल्यूपीएस) [Western Australian Voluntary Assisted Dying Statewide Pharmacy Service (SWPS)] में प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता को देंगे।

9. स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ की आपूर्ति और प्रयोग

एसडब्ल्यूपीएस में प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ की आपूर्ति तब तक नहीं की जानी चाहिए, जब तक उन्हें समन्वय व्यवसायी से नुस्खे का पर्चा प्राप्त नहीं हो जाता है और इसे प्रमाणित नहीं कर लिया जाता है।

यदि रोगी ने स्वयं इसे प्रशासित करने का निर्णय लिया है, तो प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ की आपूर्ति सीधे रोगी, उनके संपर्क व्यक्ति या रोगी की ओर से पदार्थ एकत्र करने में सक्षम किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है।

प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ के बारे में लिखित जानकारी प्रदान की जाएगी (जिसमें संग्रहण और उपयोग के निर्देश भी शामिल हैं) और पदार्थ एकत्र करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी।

यदि रोगी ने चिकित्सा व्यवसायी या नर्स व्यवसायी (जिसे प्रशासन व्यवसायी के रूप में जाना जाता है) द्वारा उन्हें स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु पदार्थ प्रशासित किए जाने का निर्णय लिया है, तो प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता सीधे प्रशासन व्यवसायी को पदार्थ की आपूर्ति करेगा (जो पदार्थ का प्रयोग किए जाने तक इसकी जिम्मेदारी लेंगे)।

10. मृत्यु प्रमाणीकरण

अधिनियम के तहत यह आवश्यक है कि रोगी के मृत्यु प्रमाण-पत्र पर स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का कोई संदर्भ न हो। यह रोगी की गोपनीयता का सम्मान और संरक्षण करने के लिए है। रोगी की मृत्यु की पुष्टि और प्रमाणन करने वाला चिकित्सा व्यवसायी रोगी के अंतर्निहित रोग, बीमारी या चिकित्सीय स्थिति को मृत्यु के कारण के रूप में रिकॉर्ड करेगा।

प्रथम निवेदन के बाद की जानकारी

चिकित्सा व्यवसायी का निर्णय

आपने एक चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष प्रथम निवेदन किया है, इसलिए उन्हें यह तय करना होगा कि वे आपके निवेदन को स्वीकार करेंगे या नहीं। चाहे चिकित्सा व्यवसायी प्रथम निवेदन को स्वीकार करें या न करें, लेकिन उनके लिए यह जानकारी पुस्तिका आपको देना अनिवार्य है।

यदि चिकित्सा व्यवसायी स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए सहमत नहीं हैं (उन्हें कर्तव्यनिष्ठ आपत्ति है), तो उन्हें आपके प्रथम निवेदन को **तत्काल** अस्वीकार करना होगा और आपको सूचित करना होगा कि वे स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु सुलभ कराने के लिए आपकी सहायता करने में समर्थ नहीं होंगे।

यदि चिकित्सा व्यवसायी को स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के लिए कोई कर्तव्यनिष्ठ आपत्ति नहीं है, तो उन्हें प्रथम निवेदन के बाद दो कार्यदिवसों के अंदर आपको सूचित करना होगा कि वे आपके निवेदन को अस्वीकार करेंगे या स्वीकार करेंगे। सभी चिकित्सा व्यवसायी स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का प्रथम निवेदन स्वीकार

करने में सक्षम नहीं होंगे। हो सकता है कि वे व्यवसायी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा न करें (उदाहरण के लिए, वे लंबी अवधि के लिए चिकित्सा व्यवसायी नहीं रहे हैं) या उनके पास मना करने का कोई अन्य कारण हो सकता है (उदाहरण के लिए, वे उपलब्ध नहीं हैं)।

आगे क्या होगा?

यदि चिकित्सा व्यवसायी ने आपके प्रथम निवेदन को स्वीकार कर लिया है, तो वे आपके समन्वय व्यवसायी बन जाते हैं। आपके समन्वय व्यवसायी के रूप में आकलन प्रक्रिया शुरू करने के लिए वे स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु का प्रयोग करने की आपकी पात्रता की पुष्टि करते हैं।

यदि चिकित्सा व्यवसायी ने आपके प्रथम निवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो यह आपका निर्णय होता है कि आगे क्या होगा। आप किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष प्रथम निवेदन व्यक्त करने का चयन कर सकते/सकती हैं।

क्या जानकारी और समर्थन उपलब्ध हैं?

पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु राज्यव्यापी देखभाल चयन सेवा (एसडब्ल्यूसीएनएस) [The Western Australian Voluntary Assisted Dying Statewide Care Navigator Service (SWCNS)] आपको समर्थन देने, आपको जानकारी प्रदान करने तथा आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपलब्ध है। इस सेवा का नेतृत्व नर्स द्वारा किया जाता है और इसमें डब्ल्यूए में स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं से परिचित अनुभवी चिकित्सा व्यवसायी देखभाल नेविगेटर के रूप में कार्य करते हैं।

देखभाल नेविगेटर ये कार्य कर सकते हैं:

- स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करना
- डब्ल्यूए में स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु की प्रक्रिया के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करना
- शामिल होने के लिए तैयार और पात्र चिकित्सा व्यवसायी या नर्स व्यवसायी का पता लगाने में सहायता देना
- क्षेत्रीय सहायता पैकेज प्राप्त करने के लिए आपकी पात्रता निर्धारित करना
- अन्य उपयोगी संसाधनों के साथ आपका संपर्क स्थापित करना।

एसडब्ल्यूसीएनएस (SWCNS) से मानक कार्यकाल (सुबह 8:30 बजे - शाम 5:00 बजे) के दौरान ईमेल और फोन के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

ईमेल: **VADcarenavigator@health.wa.gov.au**

फोन: **(08) 9431 2755**

डब्ल्यूए स्वास्थ्य विभाग (WA Department of Health) की ओर से स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु के बारे में और अधिक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है।

वेबसाइट: **ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying**

आपकी परिस्थिति के आधार पर अन्य सेवाएँ उपलब्ध हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं:

प्रशामक देखभाल डब्ल्यूए (Palliative Care WA) आपको जीवन के अंत की योजना, प्रशामक देखभाल, संताप और हानि के बारे में जानकारी व समर्थन प्रदान कर सकती है और आपके निकट स्थित प्रशामक देखभाल प्रदाताओं का पता लगाने के लिए उनकी ऑनलाइन निर्देशिका की खोज करने या उनकी प्रशामक देखभाल सूचना और सहायता लाइन को कॉल करने के माध्यम से आपकी सहायता कर सकती है।

वेबसाइट: **www.palliativecarewa.asn.au**

फोन: **1800 573 299** (सुबह 9:00 बजे - शाम 5:00 बजे तक, सप्ताह में 7 दिन)

बियॉन्ड ब्लू मानसिक स्वास्थ्य और सकुशलता के लिए समर्थन प्रदान कर सकता है, विशेषकर यदि आपको व्यग्रता या अवसाद का अनुभव हो रहा है।

वेबसाइट: **www.beyondblue.org.au**

फोन: **1300 224 636** (किसी भी समय दिन या रात में)

यदि आपको भावनात्मक संकट का सामना करने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तो लाइफलान संकटकालीन समर्थन प्रदान कर सकती है।

वेबसाइट: **www.lifeline.org.au**

फोन: **13 11 14** (किसी भी समय दिन या रात में)

मेरी व्यक्तिगत जानकारी के साथ क्या होता है?

स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु समिति (Voluntary Assisted Dying Board) एक वैधानिक निकाय है, जिसे *स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु अधिनियम 2019 (Voluntary Assisted Dying Act 2019)* का अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा तथा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से संस्तुतियाँ देने के लिए स्थापित किया गया है। यह समिति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु का अनुरोध करने वाले या इसका उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके विषय में और अधिक जानकारी *रोगियों के डेटा के बारे में जानकारी* तथ्य पत्रक में उपलब्ध है, जो स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard ("Functions of the Board" शीर्षक के अनुभाग में)।

स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु प्रक्रिया के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना

स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु की प्रक्रिया में शामिल कोई भी व्यक्ति (जैसे, रोगी, परिवार, व्यवसायी) उस प्रक्रिया के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव या प्रतिक्रिया को स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु समिति के साथ साझा करने का इच्छुक हो सकता है। *Personal Reflections form* को पूरा करके ऐसा किया जा सकता है।

यह स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard ("Functions of the Board" शीर्षक के अनुभाग में)। आप SWCNS से, या अपने समन्वयक या परामर्श व्यवसायी से भी फॉर्म के लिए पूछ सकते/सकती हैं।

आप स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त-मृत्यु की प्रक्रिया के किसी भी चरण में *Personal Reflections form* पूरा कर सकते/सकती हैं।

शिकायत से संबंधित जानकारी

यदि आप स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु की प्रक्रिया के अपने अनुभव के बारे में चिंतित हैं, तो आपको सबसे पहले इस मुद्दे को किसी संगत व्यक्ति, सेवा प्रदाता या एजेंसी के साथ उठाना चाहिए (एजेंसी के पास शिकायत प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसका आप अनुसरण कर सकते/सकती हैं)।

आप स्वास्थ्य, विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के बारे में शिकायत को स्वास्थ्य और विकलांगता सेवा शिकायत कार्यालय [Health and Disability Services Complaint Office (HaDSCO)] के पास जमा कर सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी HaDSCO की वेबसाइट (www.hadsco.wa.gov.au) से प्राप्त की जा सकती है।

आप किसी पंजीकृत स्वास्थ्य व्यवसायी के आचरण या प्रदर्शन के बारे में चिंताओं को ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य व्यवसायी विनियमन एजेंसी (एएचपीआरए) [Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)] के पास व्यक्त कर सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी एएचपीआरए की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है (www.ahpra.gov.au)।

आप स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु बोर्ड (Voluntary Assisted Dying Board) के पास अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले स्वास्थ्य व्यावसायिकों के बारे में चिंताएँ व्यक्त कर सकते/सकती हैं। स्वैच्छिक समर्थन-प्राप्त मृत्यु बोर्ड की वेबसाइट (ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard) से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विकलांगता-ग्रस्त व्यक्ति के निवेदन पर यह दस्तावेज वैकल्पिक प्रारूपों में उपलब्ध कराया जा सकता है।

स्वास्थ्य नेटवर्क द्वारा उत्पादित
© स्वास्थ्य विभाग 2022

यदि अन्यथा इंगित न किया गया हो, तो इस सामग्री की कॉपीराइट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य के पास निहित है। *कॉपीराइट अधिनियम 1968* के प्रावधानों के तहत अनुमति के अनुसार निजी अध्ययन, अनुसंधान, आलोचना या समीक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी भी निष्पक्ष व्यवहार के अलावा इस सामग्री के किसी भी अंश को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की लिखित अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए पुन:प्रस्तुत या पुन:प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

HEN-013975 JAN'22